इस्लामी तलाक के सरलीकृत नियम (2 का भाग 2)

रेटिंग:

विवरण: ???? ?? ?????? ?? ??????????? ??????? ?????????? ?? ??? ?? ??????? ???? ??, ????? ?? ??-??? ?? ??? ?? ???????? ?????? ??? ???? ?? ???????? ?????? ?? ??? ???? ?? ?????? ???

श्रेणी: पाठ > सामाजिक बातचीत > विवाह

द्वारा: Imam Mufti (© 2015 NewMuslims.com)

प्रकाशित हुआ: 08 Nov 2022

अंतिम बार संशोधित: 07 Nov 2022

उद्देश्य:

·तलाक से संबंधित पांच महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना।

·खुला - महिला का तलाक - के बुनियादी नियम सीखना।

·पत्नी को तलाक के अधिकार के हस्तांतरण के बारे मे जानना।

अरबी शब्द:

·*????* - एक आदमी द्वारा शुरू किया गया विवाह-विच्छेद।

·*????* - एक महिला द्वारा शुरू किया गया विवाह-विच्छेद।

·*?????* - विवाह अनुबंध।

·*??????* - अध्ययन के क्षेत्र के आधार पर सुन्नत शब्द के कई अर्थ हैं, हालांकि आम तौर पर इसका अर्थ है जो कुछ भी पैगंबर ने कहा, किया या करने को कहा।

तलाक देने का सही तरीका

1.

पति द्वारा पत्नी को पवित्रता की अवधि जिसमें संभोग नहीं हुआ हो, 'मैं तुम्हें तलाक देता हूं' या 'तुम तलाकशुदा हो' शब्द कहना एक स्पष्ट तलाक है। पति को यह कहने से मना किया जाता है, 'तुम्हे तीन बार तलाक दिया' या 'आप तलाकशुदा हैं' को तीन बार दोहराना।

इसके अलावा, पति तलाक के इरादे से लिखित में (पाठ संदेश या व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से) तलाक दे सकता है।

तलाक की घोषणा के बाद, पत्नी को इद्दत की अवधि पूरी करने की अनुमति दी जाती है जो अलग-अलग महिलाओं के मामले में भिन्न होती है। इस पाठ का भाग 1 देखें।

इस प्रकार का तलाक विवाह को पूरी तरह से समाप्त नहीं करता है, यह किसी भी तरह की नाराजगी या क्रूरता को कम करता है। जब तक उसने अभद्रता का अपराध नहीं किया हो, उसे घर से बेदखल नहीं किया जा सकता है और न ही उसे छोड़ना चाहिए। परिवीक्षाधीन "प्रतीक्षा अवधि" के दौरान पति उसे उसी घर में रखने और उसका वहन करने के लिए बाध्य है जैसा वो तलाक से पहले वहन करता था।

2. तलाक कहने के बाद, पति अपनी पत्नी की इद्दत की समाप्ति से पहले सामान्य वैवाहिक संबंधों को फिर से शुरू करने की नियत से अपनी पत्नी के पास लौटने का हकदार है। इस "वापसी" के लिए विवाह समारोह या नए निकाह की आवश्यकता नहीं है । 'वापसी' क़ुरआन पर आधारित है:

“तथा उनके पति इस अवधि में अपनी पत्नियों को लौटा लेने के अधिकारी हैं” (क़ुरआन 2:228)

“और गवाह (साक्षी) बना लो अपने में से दो न्यायकारियों को” (क़ुरआन 65:2)

3. इद्दत (प्रतीक्षा अवधि) की समाप्ति के बाद, पत्नी पुनर्विवाह के लिए स्वतंत्र है। वह अपने पिछले पति से एक नए निकाह (एक नया विवाह अनुबंध) के साथ पुनर्विवाह कर सकती है या वह किसी अन्य पुरुष से शादी कर सकती है।

4. बेहतर होगा कि चरण 1 में दो गवाहों को तलाक की घोषणा का उल्लेख किया जाए ताकि किसी भी विवाद से बचा जा सके।

5. **दो बार** तलाक कहने के बाद और इद्दत के दौरान हर बार अपनी पत्नी के पास 'वापस' जाने के बाद, यदि पति तीसरी बार तलाक कहता है, तो इसे 'अपरिवर्तनीय' माना जाता है। **तीसरी बार** के बाद, वह इद्दत के

दौरान इसे रद्द नहीं कर सकता और अपनी पत्नी को वापस नहीं ले सकता है।

तलाक के परिणाम

1. पति ने पत्नी को विवाह अनुबंध से मुक्त कर दिया है और यदि वह तलाक को रद्द नहीं करता है, तो उसे उसकी पत्नी नहीं माना जायेगा।

2. अनिवार्य इद्दत (प्रतीक्षा अवधि) की समाप्ति के बाद, पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से शादी करने के लिए स्वतंत्र है।

खुला - महिला का तलाक

मुस्लिम न्यायविद सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं कि पति की स्थिति से संबंधित कुछ स्थितियां पत्नी के तलाक के अनुरोध को सही ठहराती हैं। अपने रहने के स्थान को बताये बिना लंबी अनुपस्थिति, लंबी कारावास, पत्नी को आर्थिक रूप से प्रदान करने से इनकार, गंभीर गरीबी और नपुंसकता ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनके तहत एक पत्नी अपनी शादी से कानूनी रिहाई की मांग कर सकती है। पति या पत्नी की परिस्थितियों मे कुछ और भी शामिल हो सकता है वह है परित्याग, गंभीर पुरानी बीमारी, पागलपन, विवाह अनुबंध के समापन पर भ्रामक गलत बयानी, दुर्व्यवहार और नैतिक शिथिलता। यदि पति या पत्नी की इनमें से कोई भी स्थिति है, तो तलाक या रद्दीकरण की मांग की जा सकती है। संक्षेप में, एक पति किसी महिला को उस पुरुष के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसे वह नापसंद करती है।

इस्लाम ने पति को तलाक का अधिकार दिया है जो आवश्यकता पड़ने पर और कुछ शर्तों के साथ इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है। क्या होगा यदि महिला को प्रताड़ित किया जाये, दुर्व्यवहार किया जाये, और बुरा व्यवहार किया जाये? क्या होगा अगर एक महिला अपने पति को उसकी शारीरिक बनावट, खराब व्यवहार, धार्मिक असंगति, या उम्र बढ़ने के कारण नापसंद करने लगे? उसके पास क्या सहारा है? वह अपने पति से तलाक देने के लिए कह सकती है। वह उसे दहेज लौटा सकती है और खुला की मांग कर सकती है। खुला बिना मुआवजे के भी वैध है। खुला का सार स्त्री की ओर से विवाह को समाप्त करने और अपने पति से अलग होने की इच्छा है।

“फिर यदि तुम्हें ये भय हो कि पति पत्नि अल्लाह की निर्धारित सीमाओं को स्थापित न रख सकेंगे, तो उन दोनों पर कोई दोष नहीं कि पत्नि अपने पति को कुछ देकर मुक्ति किरा ले” (क़ुरआन 2:229)

खुला के मामले में, महिला को खुला के बाद एक माहवारी तक इंतजार (इद्दत) करना पड़ता है। इस दौरान पति उसे वापस **नहीं** ले सकता। इद्दत के बाद वह दोबारा शादी करने के लिए स्वतंत्र है। यदि वह बाद में अपने पति के पास वापस जाना चाहती है और वह भी वह चाहता है, और यदि उन्हें लगता है कि वे अल्लाह द्वारा निर्धारित सीमाओं का पालन कर सकते हैं, तो वे एक नए विवाह अनुबंध और एक नए दहेज के साथ पुनर्विवाह कर सकते हैं।

यदि पति उसे छोड़ने से इनकार करता है, तो वह एक इस्लामी अदालत या इसी तरह की संस्था का सहारा ले सकती है और मांग कर सकती है कि उसकी शादी को भंग कर दिया जाए। उनके पास विवाह को रद्द करने या भंग करने का अधिकार होता है। भारत और सिंगापुर जैसे कुछ मुस्लिम अल्पसंख्यक देश मुसलमानों को ऐसे मामलों को सीमित क्षेत्राधिकार वाले धार्मिक न्यायालयों में निपटाने की अनुमति देते हैं। यदि आप ऐसे देश में रहते हैं जहां ऐसा कुछ उपलब्ध नहीं है, तो कृपया परामर्श के लिए किसी धार्मिक प्राधिकारी, विद्वान या इमाम से परामर्श लें।

विवाह पूर्व समझौते में पत्नी को तलाक के अधिकार का हस्तांतरण

हालांकि दुनिया भर के कुछ मुस्लिम निकायों और संगठनों ने पति या पत्नी को 'तलाक स्थानांतरित करने' की अवधारणा खोजी है, इसके बारे में सही राय यह है कि यह एक इस्लाम द्वारा समर्थित विकल्प नहीं है।

सामान्य तौर पर, पति और पत्नी के बीच अलगाव एक "त्रि-अवधारणा" है। एक हिस्सा पति के पास 'तलाक' के रूप में होता है, दूसरा पत्नी के 'खुला' (एक महिला द्वारा शुरू किया गया विवाह-विच्छेद) के रूप में और आखिरी एक मुस्लिम न्यायाधीश के पास 'फस्क' (एक विलोपन) के रूप में होता है।

पति या पत्नी को तलाक का अधिकार हस्तांतरित करने पर कुछ विद्वानों ने चर्चा की है और इसके बारे में लगभग एकमत राय दी है। ऐसा नहीं किया जा सकता है, और यदि किया जाता है, तो बहुत सीमित दायरे को छोड़कर, यह स्वीकार्य नहीं है। इसका कारण अल्लाह के शब्दों में है: "पुरुषों पर महिलाओं की जिम्मेदारी है।" पैगंबर (उन पर अल्लाह की दया और आशीर्वाद हो) ने आगे यह कहा: "कोई भी स्थिति जो अल्लाह की किताब या सुन्नत के खिलाफ जाती है वह झूठी है, भले ही वह 100 स्थितियां हों।"

एकमात्र उदाहरण जिसमें यह स्वीकार किया जाएगा, यदि किसी पुरुष ने अपनी पत्नी को वैध कारण से तलाक देने का फैसला किया है और फिर वह अपनी पत्नी से कहे कि "तुम खुद तलाक दे सकती हो।"

अंत में, कुछ मुस्लिम समुदायों में तलाक की उच्च दर के कारण आमतौर पर किसी की पत्नी को तलाक के अधिकार के हस्तांतरण की अवधारणा शुरू हुई होगी। इससे तलाक की दर कम नहीं होगी, बढ़ भी

सकती है! केवल ज्ञान, विश्वास की शुद्ध समझ और अच्छे आचरण ही किसी भी समुदाय में तलाक होने को रोक सकते हैं।

इस लेख का वेब पता

https://www.newmuslims.com/hi/articles/286

कॉपीराइट © 2011 - 2024 NewMuslims.com. सर्वाधिकार सुरक्षित।